

प्रेषक,

**राम गोपाल सिंह**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-11, सहारनपुर।

सेवा में,

**माननीय महा-निबन्धक**

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

द्वारा,

**माननीय जनपद न्यायाधीश,**

सहारनपुर।

विषय- यू. पी. गवर्नमेण्ट सर्वेन्ट रूल-1976 परिवार नियोजन के विशेष प्राविधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन दिलाये जाने सम्बन्धी विषयक।

महोदय,

उक्त विषयक ससम्मान निवेदन है कि मेरे एक पुत्र है, जिसकी उम्र 17 वर्ष 1 माह है। अन्य कोई बच्चा नहीं है। मेरी उम्र 48 वर्ष 2 माह है। मेरी पत्नी पर्यटन विभाग देहरादून में कार्यरत है। उनको परिवार नियोजन के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन लाभ नहीं मिल रहा है तथा मुझे भी उक्त परिवार नियोजन का लाभ नहीं मिल रहा है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि मुझे **यू. पी. गवर्नमेण्ट सर्वेन्ट रूल-1976 परिवार नियोजन** विषयक विशेष प्राविधानों के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन लाभ देय अवधि से दिलाये जाने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक- 09.09.2020

भवदीय

(राम गोपाल सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष संख्या-11, सहारनपुर।

संलग्नक- यथोक्त

घोषणा-पत्र

40 वर्ष से अधिक आयु वाले उन सरकारी सेवकों के लिये जिन्होंने नसबंदी आपरेषन नहीं कराया हो।"

मैं श्री/श्रीमती - श्रीमती गणेश कुमारी

यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी वर्तमान आयु 40 वर्ष से अधिक अर्थात् - - - -

- - - - 48 - - - - वर्ष - 02 - - - - माह है। मेरे केवल एक बेटा (बच्चा) है।

बच्चा/बच्चे पैदा हुआ था/हए थे और वह/वे दोनों हो जो विवाह हैं तथा मेरे बच्चे/

दूसरे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक अर्थात् - 17 - वर्ष - 04 - - - -

माह है और इससे पूर्व मेरे किसी बच्चे को मृत्यु नहीं हुई है। मेरी पत्नी/मेरे पति

जीवित हैं/नहीं हैं व सरकारी सेवक हैं/नहीं हैं को प्रधानतः सुविधा मिल/नहीं मिल

रही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र के दिनांक के

पश्चात् यदि मेरे कोई पुत्र/पुत्री होगा तो उसका विवरण मैं अपने नियुक्ति प्राधिकारी/

विभागाध्यक्ष को उसके जन्म के 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करूँगा/करूँगी।

दिनांक: 09/09/2020

हस्ताक्षर - - - -

पदनाम - श्रीमती गणेश कुमारी

नियुक्ति का स्थान - एन सी यू

- - - - श्रीमती गणेश कुमारी (उपरोक्त)



क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय  
45-गांधी रोड, देहरादून।

दूरभाष / फ़ैक्स: 0135-2653217, E-mail: [rtotourismddn@gmail.com](mailto:rtotourismddn@gmail.com)

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती रेणु चौधरी जो इस कार्यालय में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं, के द्वारा स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अंतर्गत आविधानित व्यैक्तिक वेतन का लाभ नहीं लिया जा रहा है ।

9/9/2020  
(जसपाल चौहान)  
जिला पर्यटन विकास अधिकारी,  
जिला पर्यटन विकास अधिकारी,  
जिला पर्यटन विकास कार्यालय,  
देहरादून।

हाई स्कूल परीक्षा - अंक पत्र

000476395

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, द्वारा संचालित १९८८ की हाई स्कूल परीक्षा में  
निम्नलिखित परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण :-

अनुक्रमांक परीक्षार्थी का नाम  
0322860 RAMGOPAL SINGH

जन्मतिथि वर्ग क्रमांक  
50/07/72 A 1216355

विद्यालय/केन्द्र का नाम  
GOVT INTER COLLEGE BIJNOR

परीक्षा प्रवर्ग, संस्था/व्यक्ति  
FULL EXAM REGULAR

विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम	विषयानुसार प्राप्तांक							सम्पूर्ण योग एवं परीक्षाफल
			प्रथम प्र० प्र०	द्वितीय प्र० प्र०	तृतीय प्र० प्र०	आयु लिपि/प्रमाण	द० हिन्दी	द० अंग्रेजी	योग	
HINDI	100	33	22	21	21				064	316
ENGLISH	100	33	24	17					041	PASSED
MATHEMATICS ONE	100	28	27	17					044	SECOND
SCIENCE ONE	100	33	25	22	13				060	
SOCIAL SCIENCE	100	33	32	28					060	CAT MEMB.
DRAWING TECH	100	33	15	32					047	

HSIBUP-88

जांचकर्ता के हस्ताक्षर  
दिनांक 6-7-88  
नोट-आवश्यक सूचना पीछे मुद्रित है।

प्रधानाचार्य  
के हस्ताक्षर  
मुहर



राजरीव एम्. ए. कॉलेज  
बिजनोर



## उत्तर प्रदेश सरकार (भारत)

प्रपत्र संख्या-9 (नियम-9 देखिये)  
(स्वास्थ्य विभाग)



जन्म प्रमाण-पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की  
धारा 12/धारा 17 के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो उत्तर प्रदेश राज्य  
के बिजनौर जिले की बिजनौर तहसील के मुकरपुर खिमा के रजिस्टर में है।

नाम साश्वत चौधरी पिता का नाम रामगोपाल

लिंग (पुरुष/स्त्री) पुरुष माता का नाम रतु चौधरी

जन्म का दिनांक (अंकों में) 19-08-2003 पिता/माता की राष्ट्रीयता भारतीय

(शब्दों में) उन्नीस अगस्त सन् २००३ पिता/माता का स्थायी पता

जन्म स्थान मुकरपुर खिमा - बिजनौर

दिनांक रजिस्ट्रीकरण संख्या 2 दिनांक 30/01/04

रजिस्ट्रार (जन्म - मृत्यु)

प्राम पंचपिस्टार (जन्म - मृत्यु) उर्फ बुलारा

हो व मोहर विकास सङ्घ हल्द्वारी बिजनौर

टिप्पणी - आर.बी.डी. एक्ट 1969 की धारा 17 (2) के अनुसार उक्त उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के

अधीन विधिक साक्ष्य में ग्राह्य है।